न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 19 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 38

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
एवन कंवर पुत्री गुलाबसिंह पत्नी खुमानसिंह, निवासी–पोमावा तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली, हाल निवासी–बावरला, तह–सांचौर, जिला–जालोर	1 गोपलसिंह पुत्र गुलाबसिंह वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 08.04.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ~~और~~ 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमृत मेघवाल उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 21.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 रिश्ते में सगे भाई बहिन है और ये चारों ही स्व. गुलाबसिंह की संताने है। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 01 से तीन के माता पिता का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 के अलावा अन्य कोई व्यक्ति स्व. गुलाबसिंह का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नहीं है। प्रार्थीया एक विधवा महिला है, जिसका सुहाग मात्र छः माह तक का रहा। प्रार्थीा के पति के स्वर्गवास के बाद से प्रार्थीया अपने पीहर बावरला में ही वादग्रस्त आराजी में निवासरत है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही जाति के अर्थात राजपूत जाती के है, जो हिन्दू धर्म के अनुयायी है जिसके कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के समस्त प्रावधान वादीया और प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 पर समान रूप से लागू होते है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम बावरला में नवीन खेत खसरा नंबर 1113, 1247, 873, 874 रकबा 5.18 हैक्टेयर तथा ग्राम रघुनाथपुरा में खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर 1146, 519, 607, 608, 609, 655, 656 रकबा 14.37 हैक्टैयर तथा ग्राम विष्णुनगर में खातेदारी भूमि नवीन खेत ख[illegible] नंबर [illegible]7, 74, 75, 76, 77 रकबा 10.71 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 30.26 हैक्टेयर [illegible] रेकर्ड में प्रार्थीया के सगे भाई अर्थात् अप्रार्थीगण संख्या 01 से दो व दिगर अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। उपरोक्त आराजी के पुराने खसरा नंबर 261, 305, 332, 446, 448, 448 / 1332 की आराजीयान पूर्व में प्रार्थीया के पिताजी गुलाबसिंह एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रही जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी होने के कारण प्रार्थीया का भी गुलाबसिंह पुत्र वगतसिंह के नाम दर्ज समस्त वादग्रस्त भूमि में कुल 1/4 हिस्सा (अर्थात् प्रार्थीया का 1/4 एवं अप्रार्थीया के तीनों भाई बहनों में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा) अर्थात गुलाबसिंह के नाम पूर्व में दर्ज संपूर्ण आराजी में प्रत्येक उतराधिकारी का 1/4, 1/4 हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनिलयम के कानूनी प्रावधानों के अनुसार निहित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयान में प्रार्थीया का अपने पिताजी गुलाबसिंह के हिस्से की भूमि में 1/4 हिस्सा निहित है और इसी हिस्से पर प्रार्थीया का कब्जा भी भौतिक व वास्तविक रूप से अप्रार्थीगण की जानकारी में है और प्रार्थीया उपरोक्त हिस्से पर लगातार बिना किसी बाधा व दखल के स्वतंत्रतापूर्वक काबिज रह कर काश्त करती एवं करवाती आ रही है, जिसका ज्ञान अप्राार्थीगण को भी बखूबी है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 04 के हक में अपने नाम दर्ज समस्त भूमि 2.5216 हैक्टेयर भी आरजीयान का एक अवैध बेचाननामा दिनांक 28.06.2023 को निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया जबकि उक्त आराजी में अप्रार्थीया संख्या 01 को केवल मात्र 1/4 हिस्सा ही बेचान करने का अधिकार था, अपने हिस्से से अधिक भूमि को बेचान करने का अप्रार्थी संख्या 01 गोपालसिंह को कोई हक या अधिकार था ही नहीं, क्योंकि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयान प्रार्थीया की पुश्तैनी आरजीयान है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण संख्या 01 व 04 से मिली थी तथा प्रार्थीया ने गांव के लोगों से भी पंचायती करवाकर प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी में स्थित अपना हिस्सा पुनः अपने नाम करवाने का निवेदन किया तो उन्होंने भूमि वापस नामे करवाने से साफ इनकार कर दिया तथा मुझे मेरे पुश्तैनी खातेदारी खेत के कब्जे काश्त से बेदखल करने व वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे किसी अन्य बदमाश व्यकित को बेचान करने की ऐलानियां धमकीदया दी तथा कहा कि तुम्हारे से जो हो कर लेना हम किसी कानून या कोर्ट से नहीं डरते है। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी, कब्जासुदा खातेदारी भूमि है तथा मौके पर मेरे हिस्से बंट की भूमि पर लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला मेरे पक्ष में बनता है। मुझ प्रार्थीया द्वारा भूमि में खाद वगैरह डालकर समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है तथा इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में है तथा इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 04 अगर मुझे मेरी पुश्तैनी कब्जासुदा खातेदारी भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्ध ढंग से बेदखल करने में व अन्दर अवैध कच्चा या पक्का निर्माण करने में सफल हो गए या वादग्रस्त आराजी का बेचान कर आगे से आगे हस्तान्तरण कर दिया तो वाद बहुलता बढ़ेगी, प्रार्थीया [illegible] पड़ेगा तथा प्रार्थीया का ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आं[illegible] मुमकिन नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible] आराजी वांके ग्राम बावरला में नवीन खेत खसरा नंबर 1113, 1247, 873, 874 रक[illegible]5.18 हैक्टेयर तथा ग्राम रघुनाथपुरा में खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर 1146, 519, 607, 608, 609, 655, 656 रकबा 14.37 हैक्टैयर तथा ग्राम विष्णुनगर में खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर 67, 74, 75, 76, 77

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 10.71 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 30.26 हैक्टेयर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मुलवाद बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावें कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में मेरे उपयोग एव उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा आगे किसी को बैचान हस्तान्तरण नहीं करें व मौके पर नया कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं कर रेकर्ड व मौके की यथारिथति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 04 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र व विधिक आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 गोपलसिंह की मालिकाना हक हकूक संपति थी तथा वह राजस्व अभिलेख रेकडर्ड खातेदार 1/2 हिस्सा दर्ज था, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 गोपालसिंह को बैचान करनें या कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार होने से मुझ अप्रार्थी गोपालसिंह ने अप्रार्थी संख्या 03 मनीषा राठोड़ को जरिये बैचान रजिस्ट्री दिनांक 28.06.2023 को हस्तांतरण किया जाकर दिनांक 28.06.2023 को विधिवत बैचान दस्तावेज पंजीबद्व करवाकर पंजीबद्व दस्तावेज के जरिये समस्त हक स्वतः अधिकार व कब्जे का हस्तान्तररण कर दिया है। वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी मनीषा राठौड़ की खरीदसुदा, मालिकाना हक, कब्जासुदा, उपयोगसुदा की होने से उक्त आराजी में प्रार्थीया का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं होने से मुझ अप्रार्थी के विरूद्व कोई विनाय पैदा नहीं होने से विनायवाद के अभाव में दावा खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 05 व 06 को पक्षकार संयोजित किया गया है जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। धारा 80 सी.पी.सी. के वाद संस्थित करनें से पूर्व वाद हेतुक का अनुतोष के स्वरूप का नोटिस देना आवश्यक है। प्रार्थीया किसकी वारिस है, किसकी नहीं है, इस संबंध में हम अप्रार्थीगण से कोई सरोकार नहीं है। सक्षम न्यायालय के उतराधिकारी प्रमाण पत्र के अभाव दावा खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बावरला के नवीन खेत खसरा नंबर 1113, 1247, 873, 874 रकबा 5.18 हैक्टेयर में मुझ गोपालसिंह के 1/12 हिस्सा खातेदारी कब्जाकाश्त का होने तथा ग्राम रघुनाथपुरा में खातेदारी भूमि के नवीन खेत खसरा नंबर 1146, 519, 607, 608, 609, 655, 656 रकबा 14.37 हैक्टैयर में मुझ गोपालसिंह के 1/12 हिस्सा खातेदारी कब्जाकाश्त का होने तथा ग्राम विष्णुनगर में खातेदारी भूमि के नवीन खसरा नंबर 67, 74, 75, 76, 77 रकबा 10.71 हैक्टेयर में मुझ गोपालसिंह के 1/12 हिस्सा खातेदारी कब्जाकाश्त का होने से मुझ गोपालसिंह को बेचान करने का विधिवत अधिकार होने से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मनीषा राठोड़ को मुझ प्रतिवादी गोपाल का संपूर्ण हिस्सा मनीषा राठोड़ को बेचान कर बैचान दस्तावेज पंजीबद्व दिनांक 28.06.2023 को करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मुझ अप्रार्थी गोपालसिंह की खातेदारी कब्जाशुदा मालिकाना हक हकूक की आराजी होने से मुझ खातेदारी भूमि में राजस्व अभिलेख में उल्लेखित हक हिस्सा बैचान करने का पूर्ण अधिकार होने से वादग्रस्त आराजी का बैचान [illegible] प्रतिफल राशि मनीषा राठोड़ से प्राप्त कर विधिवत बैचान दस्तावेज मनीषा राठोड़ के पक्ष में निष्पादित किया है तथा कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त खरीददार को विधिवत करवा दिया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का कोई विधिवत कभी कब्जा नहीं रहा, जब विधिवत कब्जा ही नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की विधिवत खरीदसुदा कब्जाकाश्तसुदा खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के विरूद्व तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की मालिकान हक हकूक एवं खरीदसुदा की होने से व खातेदारी की होने से एक विधिवत खातेदार होने से अपूरणीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार एक विधिवत रेकर्डड खातेदार काबिज काश्त के विरूद्व प्रार्थीया किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का कानूनी हकदार नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, मनगंढत एवं असत्य तथ्यों का होने एवं विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी मौजा बावरला पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर के नवीन खेत खसरा नंबर 1113, 1247, 873, 874 रकबा 5.18 हैक्टेयर तथा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला के नवीन खेत खसा नंबर 1146, 519, 607, 608, 609, 655, 656 रकबा 14.37 हैक्टैयर तथा ग्राम विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला के खेत खसरा नंबर 67, 74, 75, 76, 77 रकबा 10.71 हैक्टेयर आराजी में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **21.07.2025** को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner